शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com
सोशल मीडिया से जुडे
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

कार्यालय चुनाव अधिकारी

केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2025-26

डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर

5-चंदन बाड़ी,भू-तल, खन्ना टावर, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर -302017

No.EO/SOCIETY/2025-26/08 दिनांक 07.02.2026

## कार्यालय आदेश

डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2025-26 हेतु जारी चुनाव अधिसूचना/कार्यक्रम दिनांक 07.02.2026 के क्रम में केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2025-26 से संबंधित अन्य शर्तें, दिशा निर्देश एवं आचार संहिता निम्नलिखित अनुसार पालना हेतु जारी की जाती है:-

1. नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार को सरकारी पहचान पत्र सहित स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा।
2. सोसायटी चुनाव अधिकारी की अधिकृत मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
3. नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी उम्मीदवार निम्न अनुसार राशि अदा करेंगे :-
   i. अध्यक्ष हेतु रुपए 10000/-,
   ii. वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष हेतु रूपए 5000/-

   उपरोक्त राशि नगद अदा कर चुनाव अधिकारी कार्यालय, जयपुर से रसीद प्राप्त करनी होगी, उक्त राशि किसी भी स्थिति में रिफंड योग्य नहीं रहेगी |

4. चुनाव नामांकन पत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को प्रति नामांकन पत्र 500 रुपए चुनाव अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना जरुरी होगा |
5. मतदाता अपने साथ सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड अथवा पासपोर्ट में से कोई एक अपनी पहचान के लिए लेकर आएंगे अन्यथा मतदान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
6. चुनाव प्रचार दिनांक 8 मई 2026 को सायं 5:00 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार में राजस्थान सरकार एवं भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता अन्य नियम एवं उप नियम और अन्य मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा। इनके उल्लंघन पर उल्लंघन करता के खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

7. मतदाता द्वारा मतदान संबंधित मतदान केंद्र पर ही किया जाएगा, लेकिन जो मतदाता चुनाव प्रक्रिया में चुनाव ड्यूटी पर होंगे एवं जिनके मतदान केंद्र चुनाव ड्यूटी मतदान केंद्र से अलग है, उन्हें चुनाव अधिकारी कार्यालय से बंद लिफाफे में मतदान पत्र जारी किया जाएगा, जिसे चुनाव अधिकारी द्वारा जारी दूसरे बंद लिफाफे में ही मतदान उपरांत जिस केंद्र पर चुनाव ड्यूटी है उसके पीठासीन अधिकारी को मतदान पत्र बंद लिफाफे में मतदान के निर्धारित समय तक जमा करवाना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवारों को मतदाता सूची की फोटोकॉपी चुनाव अधिकारी कार्यालय जयपुर से ₹३ प्रति पृष्ठ शुल्क जमा करवाने पर 48 घंटे बाद उपलब्ध करवाई जा सकेगी।
9. प्रत्येक उम्मीदवार मतदान केंद्र पर स्वयं के उपस्थित नहीं होने की स्थिति पर केवल एक ही पोलिंग एजेंट अधिकृत करने के पात्र होंगे जिसकी लिखित स्वीकृति उसे मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी से मतदान शुरू होने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
10. मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के पश्चात ही उम्मीदवार अपना काउंटर स्थापित कर सकेंगे।
11. यदि किसी मतदाता का नाम जयपुर जिले की मतदाता सूची में अंकित है लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदान केंद्र सूची में अंकित नहीं है तो उपरोक्त मतदाता जयपुर में निर्धारित मतदान केंद्र (जिसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी) अपना मतदान कर सकेगा।
12. प्रत्येक प्रत्याशी के समर्थक व प्रस्तावक अलग-अलग होंगे अर्थात एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक केवल एक ही प्रत्याशी का हो सकता है।
13. सोसायटी की केंद्रीय कार्य समिति चुनाव प्रक्रिया के दौरान विधि अनुरूप निर्णय कर सकेगी।
14. क्योंकि सोसाइटी में मतदाता सूची का संधारण महासचिव द्वारा किया जाता है, अतः मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण सोसाइटी महासचिव एवं चुनाव अधिकारी द्वारा मिलकर किया जाएगा।
15. सोसायटी चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन अथवा लालच देकर प्रभावित नहीं किया जाएगा।
16. सोसायटी चुनाव के उम्मीदवार प्रत्याशी एवं मतदाता इस आदेश में जारी सभी शर्तों का पालन करेंगे और सोम्य एवं शालीनता से चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव में मतदान करेंगे।
17. चुनाव उम्मीदवार/प्रत्याशी द्वारा सोशल मीडिया इंटरनेट प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया एवं अन्य किसी भी माध्यम से किसी दूसरे उम्मीदवार प्रत्याशी के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करेंगे और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे।
18. मतदान के दिन उम्मीदवार / प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को वाहन उपलब्ध नहीं करवाएंगे।
19. मतदान केंद्र में चुनाव उम्मीदवार या पोलिंग एजेंट अपने साथ किसी अन्य अनाधिकृत व्यक्ति को लेकर प्रवेश नहीं करेंगे।
20. मतदान एवं मतगणना के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बाधा पहुंचाने पर जोनल अधिकारी एवं चुनाव अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

21. चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी प्रकार की शिकायतों का निस्तारण चुनाव अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं उसका निर्णय अंतिम होगा।
22. चुनाव कार्य में लगे मतदान अधिकारी, जोनल अधिकारी एवं अन्य किसी भी मतदान कर्मी से कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं करेगा।
23. इस आदेश के जारी होने के पश्चात चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत चुनाव अधिकारी से की जा सकेगी और चुनाव अधिकारी द्वारा उस शिकायत पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा और सभी को मान्य होगा।
24. आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देशों में संशोधन/फेरबदल किया जा सकता है |

(मंगल मोरवाल)
चुनाव अधिकारी
9166078989

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सूचना पट्ट, चुनाव अधिकारी कार्यालय।
2. सोसायटी महासचिव, डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सोसायटी पदाधिकारी सदस्य/ मतदाता, सोसायटी वेबसाइट,चुनाव अधिकारी सूचना-पट्ट, सोशल मीडिया, प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से।

चुनाव अधिकारी